निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 561) पटना, वृहस्पतिवार, 25 अप्रील 2019

सं0 04/नि॰ (अधि॰ खरीफ 2018–19)गनी बैग–09/2018––701

सहकारिता विभाग

———————

संकल्प

7 फरवरी 2019

विषयः– राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/– (पच्चीस रू॰) प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए ₹15/– (पन्द्रह रू॰) प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त मद में 45 करोड़ (पैतालीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में किसानों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों द्वारा धान क्रय केन्द्रों पर पुराने गनी बैग में धान लाया जाता है। परन्तु उक्त पुराने गनी बैग मद में उन्हें राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/– (पच्चीस रू॰) प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से कराते हुए पैक्स/व्यापार मंडलों को प्रतिपूर्ति के रूप में ₹15/– (पन्द्रह रू॰) प्रति क्विंटल की राशि प्रदान की जायेगी तथा अवशेष ₹10/– (दस रू॰) प्रति क्विंटल की राशि मिलरों (पुराने गनी बैग के निस्तार बिन्दु) से पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस व्यवस्था से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न किसानों एवं पैक्स/व्यापार मंडलों दोनों के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सकेगी तथा उनकी रूचि अधिप्राप्ति कार्य में बनाये रखने में मदद मिलेगी।

2. प्रारंभिक खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 से अनुमानित उपलब्धि (धान) 30 लाख मे॰टन मात्रा के आलोक में कुल 45 करोड़ (पैतालीस करोड़) रु० की राशि का व्यय राज्य योजना शीर्ष से की जायेगी।

3. राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/– (पच्चीस रू॰) प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए ₹15/– (पन्द्रह रू॰) प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त मद में 45 करोड़ (पैतालीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

4. मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.02.2019 की बैठक में मद संख्या–12 में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

6. खरीफ विपणन वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे॰टन के लिए अनुमानित प्रतिपूर्ति की राशि (30000000/ 15/–) 45 करोड़ (पैतालीस करोड़ रू॰) की आवश्यकता होगी एवं इस

राशि का भुगतान सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित पैक्स/व्यापार मंडलों को बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

7. बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा उक्त राशि का उपयोग अन्य मदो में नहीं किया जाएगा।

8. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/समितिवार विस्तृत प्रतिवेदन बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

9. प्रतिपूर्त्ति अनुदान की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जबावदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथा वांछित निदेश संसूचित करेंगे।

10. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा–निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जाएगा।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 561-571+20 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in